

नम्बर व तारीख  
हुकम की

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख  
अहकामजोइसहुकम की  
तामीलमेंजारीहुए

12.06.25

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी के वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है।

अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुईली तहसील समदडी के खसरा संख्या 299/51 रकबा 3.9583 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करें आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 / 1279

दिनांक : 12.06.2025

प्रार्थी  
किशनाराम पुत्र देवाराम

बनाम

विप्रार्थीगण  
ग्राम पंचायत बामसीन जरिये सरपंच  
ग्राम पंचायत बामसीन

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश  
जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं. 57 / 2024

दिनांक :- 12.06.25

--: आदेश :-

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम सुईली तहसील समदडी की खसरा संख्या 299/51 रकबा 3.9583 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रुपये 2000/- प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2025 / 1280  
प्रतिलिपि :

दिनांक : 12.06.2025

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी बामसीन तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी किशनाराम पुत्र देवाराम जाति कलबी निवासी सुईली तहसील समदडी जिला बालोतरा



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)